

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक-एफ24(NOC20-21)/बी.एड/आकाशि/2020/144

दिनांक-30.03.2020

आदेश

निर्देशानुसार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पारिपद (एन.सी.टी.ई.) द्वारा **बी.पी.एड.(2 वर्षीय) एम.पी.एड.(2 वर्षीय), बी.एड.-एम.एड.(3 वर्षीय एकीकृत), एम.एड.(2 वर्षीय)** पाठ्यक्रम के संचालन हेतु मान्यता प्राप्त एवं राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को **सत्र 2020-21 के लिए** काउन्सलिंग के माध्यम से प्रेषित सूची में अंकित शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था के तहत विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन अर्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र एतद्वारा जारी किया जाता है।

1. प्रदेश में केन्द्रीकृत प्रवेश व्यवस्था के अन्तर्गत समन्वयक 2020, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के माध्यम से प्रवेश पूर्व परीक्षा 2020 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि विद्यार्थियों से नहीं लेंगे। यदि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित विश्वविद्यालय/महाविद्यालय की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया जायेगा।
3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को एनसीटीई एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मापदण्डों की पूर्ति करने के साथ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों की पालना करनी होगी। मापदण्डों की पालना नहीं करने पर राज्य सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी।
4. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपयुक्त योग्यताधारी शिक्षकों की उपलब्धता की सुनिश्चितता की जावेगी।
5. राज्य सरकार के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय काउन्सलिंग में भाग ले रहे महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्वयं के स्तर पर अथवा अन्य फेडरेशन/सोसायटी आदि के द्वारा परीक्षा आयोजित कर या अन्य किसी आधार पर पृथक से शिक्षण-प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रदान नहीं करेंगे।



(प्रदीप कुमार बोरक)

आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा, विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, (ग्रुप-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समन्वयक, बी.पी.एड.(2 वर्षीय), एवं एम.पी.एड. (2 वर्षीय), बी.एड.-एम.एड.(3 वर्षीय एकीकृत), एम.एड.(2 वर्षीय) राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सभी शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थाओं को काउन्सलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान करें।
6. रजिस्ट्रार, समस्त विश्वविद्यालयों को भेजकर लेख कि संस्थाओं का सम्बद्धता प्रदान करने से पूर्व एनसीटीई के मान्यता पत्र की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें।
7. क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय, जी-7, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075।
8. परियोजना अधिकारी, राज्य सूचना(एनआईसी), शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार/ सचिव/ प्राचार्य, सभी शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालय/विश्वविद्यालय।
10. प्रभारी वेबसाइट, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित है कि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
11. रक्षित पत्रावली।



आयुक्त,

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

30	Kauroli	सौरभ कॉलेज आफ टीचर ट्रेनिंग, ग्रा. खेडा, हिण्डौन, करौली
31	Nagour	जैन विश्व भारती संस्थान (डीम्ड यूनिवर्सिटी) लाडनूँ, नागौर (महिला)
32	Sikar	महला टी.टी. इन्स्टीट्यूट, खाटू श्यामजी रोड़, रींगस, सीकर
33	Sikar	टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रींगस, सीकर
34	Sikar	ए.एन. बी.एड. कॉलेज, रामू का बास, गोकुलपुरा, एन एच 11, सीकर
35	S. Madhopur	भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर
36	Ganganagar	भारती शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चक 2, एम.एल.,नाथवाला, हनुमानगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर
37	Tonk	वनस्थली विद्यास्थली, टोंक
38	Udaipur	विद्याभवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उदयपुर
39	Udaipur	लोकमान्य तिलक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, डबोक, उदयपुर
40	Udaipur	राजरथान महिला टी.टी. कॉलेज, ज्ञान मार्ग, गुलाबबाग के पास, सूरजपोल, उदयपुर
41	Jaipur	ज्ञानविहार स्कूल ऑफ एज्युकेशन (ज्ञानविहार विश्वविद्यालय) जगतपुरा जयपुर
42	Jhunjhunu	श्रीमती रामकुमारी पी.जी. टी.टी. कॉलेज, रानी सती रोड़, मुकुन्दगढ़, तह0 नवलगढ़, झुन्झुनूं
43	Udaipur	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
44	Jaipur	जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, जगतपुरा, जयपुर
45	Jodhpur	मौलाना आजाद मुस्लिम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, लाईट न0 1, पाल पिक रोड़, जोधपुर।